

Request - 91

3
6-5-06

6327

प्रेषक,

अशोक कुमार सिंह,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
एफटीसी-३ फिरेजाबाद।

सेवा में,

श्री पी०सी० श्रीवास्तव
डिप्टी रजिस्टरार
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

द्वारा:

जिला जज

फिरेजाबाद।

1920

विषय:

एस०टी० सं०-६६५/२००२ राज्य बनाम राजीव गुप्ता धारा
३६३, ३६६, ३७६ भा०द०सं० धाना दक्षिणा जिला फिरेजाबाद

में साक्षी के लम्ब में श्री बसन्त कुमार जाटव सिविल जज०ज०डी०४०
आजमगढ़ को तलब करने के सम्बन्ध में-

19

D.R.(M)
06.08.06

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भ में सम्मान अवगत कराना है

No. 446 Dated 12-4-2006
forwarded

कि इस न्यायालय द्वारा सत्र परीक्षा वाद उपरोक्त में श्री बसन्त
कुमार जाटव को माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से साक्षी के
लम्ब में तलब करने का अनुरोध किया गया था। इस सम्बन्ध में
माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत पत्रोंक /IV-2915/एडमिन.
४४-१४। दर्ज कित 22-३-२००६ इलाहाबाद प्राप्त होता चुका है।

D.R.(M)

The necessary
summons has been
served upon Sri Basant
Kumar Satav, Civil Judge
(I.D.) Asangapur, hence
no action is called for.
May file?

आच्या माननीय न्यायालय के अवलोकनार्थ प्रेषित है।

सादर।

भवदीय

अशोक कुमार सिंह
Addl. Distt. & Session's Judge
अपर जिला (East) एवं सत्र क्षेत्र का न्यायाधीश
एफटीसी फ्रोटेस्टिक अधिकारी

10-5-06
Signature

दिनांक 12-4-2006

File
Concordance
10/06/06

Off. No. 8/1/2006
Date 10/5/06
Time 11:00 A.M.

Request - 91

URGENT

Registered

(MSD)

To

The District-Judge,
Firozabad

22

No. 3586 / II-29/5-Admn (A-1) Dated 24/3/06
Subject:- Regarding adducing evidence by
Sri Basant Kumar Jatav, Civil Judge,
(Junior-Division) Azamgarh before
the Court of Sri Ashok Kumar Singh
Addl. Sess. Judge, (F.T.C.-3) Firozabad,
on 01-3-2006 in connection with
S.T. No. 656/2002 State vs. Rajeev
Gupta U/S 363, 366, 376 I.P.C. P.S.
South Distt. Firozabad.

D.R.(M)

Sir,
With reference to your endorsement
No. 30 V/XI-06 dated 06-3-06 forwarding
therewith letter dated 03-3-06 of Sri Ashok
Kumar Singh, Addl. Sess. Judge (F.T.C.) Firozab-
ad (B)
on the above subject, I am directed
to action herewith the summons
09-3-06 and to say that under the
of
and to say that under the
provisions contained in appendix-F
09/3/06

Registrar(B) of General Rules (Criminal) summons
May kindly in criminal cases can be served
approve
2 cr vrsd
upon the civil Judge (Senior-Division)
or Civil Judge (Junior-Division)
D.R.(M)
10/03/06
Ar. 100
Date
10/03/06
through their District-Judge.
10/03/06
10/03/06
10/03/06
10/03/06

Sri Basant Kumar Jatav is posted as
Civil Judge (Junior Division) Azamgarh
and as such summons may be served
upon him through the District —
Judge, Azamgarh, in accordance with above
provisions. I am, therefore to request —
you kindly to ask Sri Ashok Kumar
Singh, Addl. Sess. Judge, (F.T.C.) to send
the summons to the District Judge,
Azamgarh for service upon Sri
Basant Kumar Jatav, through the
District Judge, Azamgarh.
Kindly acknowledge receipt

Enclosure:
As above

Yours faithfully
Jorwadlava

23
No. 3587 /D-2915 Adm (A-I) Dated - 24.3.06
Deputy Registrar
Copy forwarded for information
and necessary action to :—
1. The District-Judge, Azamgarh.
2. Sri Ashok Kumar Singh, Addl.
Sess. Judge (F.T.C.) Faizabad,
with reference to his letter
dated 03-3-06.

Jorwadlava
Deputy Registrar

Request - 91

३
१३-०६

३४२) ८-३-०६

प्रेषक,

अशोक कुमार सिंह,

Reg. No.	3291
file no.	IV/2915
Serial	21
Date	9.3.06
9.3.06	9.3.06

६०४
४-३-०६

अपरसन्न न्यायाधीश एफटीसी-३५
फिरोजाबाद।

४
१३-०६

सेवा में,

महानिबन्धक

माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा: जिला जज,
फिरोजाबाद।

विषय: एस०टी० सं०- 656/2002 बनाम राजीव गुप्ता धारा 363, 366, 376 भा० द० सं० धाना दक्षिणा जिला फिरोजाबाद में तत्कालीन सिविल जघूँडी० फिरोजाबाद श्री बसन्त कुमार के न्यायालय में साइ देते उपस्थित होने के निर्देश देने के सम्बन्ध में-

महादय,

सम्मान अवगत कराना है कि इस न्यायालय में उपरोक्त उत्तिलिखित सब परीक्षण लिम्बते हैं जिसमें अधियोजन साक्ष्य पूरी हो चुकी है। मामले की पीड़िता कुमारी सुनीता मृत्यु हो जाने के कारण न्यायालय में परीक्षित नहीं हो पाई है। पीड़िता का बयान श्री बसन्त कुमार जाटव सिविल जघूँडी० फिरोजाबाद द्वारा जनपद फिरोजाबाद में तैनाती के द्वारा नौकरी किया गया है। ऐसी दशा में जब कि पीड़िता का साक्ष्य इस सब परीक्षण वाद में मृत्यु हो जाने की वजह से नहीं हो पाया है तो उसका बयान

S.O Admn (H/A 2)

जाटव सिविल जघूँडी० आजमगढ़ के जिन्होंने पीड़िता का बयान धारा 164 द० प्र० सं० प्रमाणित होना आवश्यक है। श्री बसन्त कुमार आजमगढ़ के नाध्यम से आहूत रक्ता भयोपा परन्तु जनपद न्यायाधीश आजमगढ़ का प्रभ प्राप्त हुआ है। क श्री जाटव के जरिये माननीय न्यायालय तलब किया जाये।

अतः माननीय न्यायालय से जनुरोध है। क एस०टी० सं०-656/2002 राज्य बनाम राजीव गुप्ता आदि धारा 363, 366, 376 भा० द० सं० धाना

Agent
al, 2-45 PM
09/3/06

.....पृष्ठ 2

Encl-④

जिला फिरोजाबाद में साक्ष्य हेतु श्री बसन्त कुमार जाटव
सिविल जजौंडूआजमगढ़ के न्यायालय में दिनोंक 18-3-06
के उपस्थित होने का निर्देश देने की कृपा करें।

सादर।

भगवतीय,
श्री अशोक कुमार सिंह १३३२८
अपर सद न्यायाधीश एफटीसी-३४
फिरोजाबाद।

दिनोंक 3-3-2006

अपर सद न्यायाधीश एफटीसी-३४
फिरोजाबाद।

संलग्नक-

1- इस न्यायालय द्वारा जिला जज आजमगढ़ द्वारा गलबंध गये पत्र, स्मृति पत्र की छाया प्राप्त।

2- माननीय जिला जज आजमगढ़ द्वारा इस न्यायालय के सम्बोधित पत्र दिनोंक 23-2-2006 की छाया प्राप्त।

3- श्री बसन्त कुमार जाटव सिविल जजौंडूआजमगढ़ के समन्ता

स्मृति-पत्र

प्रेषक,

अशोक कुमार सिंह,
अपर सम न्यायाधीश। सफटीसी-३।
फिरोजाबाद।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
आजमगढ़।

विषय: एस०टी० सं०- 656/2002 घनाम राजीव गुप्ता धारा 363, 366, 376
भा०८० सं० धाना दीक्षा पिला फिरोजाबाद में तत्कालीन सिविल
जज। जूडीडी। फिरोजाबाद की बसन्त कुमार के न्यायालय में साक्ष्य
देने उपस्थित होने के निर्देश के सम्बन्ध में-

महादय,

उपरोक्त विषय के स इस न्यायालय में लम्बित है जिसमें
अभियोगन साक्ष्य पूरी हो चुकी है। माझे की पीड़िता कुमारी
सुनीता का बयान उसकी मृत्यु हो जाने के कारण नहीं हो पाया
है। पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा 164द०प्र० सं० श्री बसन्त कुमार
द्वारा अंशित किया गया है। ऐसी क्षात्र में जबाइ पीड़िता कुमारी
सुनीता की मृत्यु हो चुकी है तथा उसकी साक्ष्य नहीं हो पाई है तो
उसका बयान धारा 164द०प्र० सं० का प्रमाणित होना आवश्यक है।

माननीय महादय के दिनांक 3-2-2006 एवं दिनांक 10-2-2006
के बीच बसन्त कुमार के न्यायालय में उपस्थित करने हेतु समन संलग्न
कर साक्ष्य हेतु निर्देशित करने का अनुरोध हिन्दून-खण्ड्या। कहाँ
श्री बसन्त कुमार पर समन की तामीला व्यवित्तगत रूप से है, परन्तु
वह न्यायालय में साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं हुए हैं जिससे बाय की
कार्यवाही अनावश्यक रूप से लम्बित हो रही है।

अतः इस स्मृति-पत्र के माध्यम से माननीय महादय से अनुरोध
देकि अपने अधीनस्थ श्री बसन्त कुमार सिविल जज। जूडीडी। को
निर्देश करने की कृपा करें कि वह मामले में नियत तिथि 3-3-06
के उपस्थित होकर अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करें।

सादर।

दिनांक 21-2-2006

संलग्नक- सुमन श्री बसन्त कुमार एस०प्र०४०६ सफटीसी-३। फिरोजाबाद।
सिविल जज। जूडीडी। आजमगढ़।

भवदीय,
अशोक कुमार सिंह।

प्रेषक,

जनपद न्यायाधीश,
आजमगढ़।

सेवा में,

श्री अशोक कुमार सिंह,
अपर सत्र न्यायाधीश,
सप्टेंबर ०३, फिरोजाबाद।

पत्रांक: /८४ प्रथम,

दिनांक: फरवरी २३, २००६ई०

विषय:-

सप्टेंबर ०३ ६५६/२००२, अन्तर्गत धारा ३६३, ३६६, ३८६
भा०८०८० धाना दक्षिण, जिला फिरोजाबाद में तहकालीन
सिविल जज० अवर खाड़ौ फिरोजाबाद श्री बसन्त कुमार जाटव
को न्यायालय में साक्ष्य हेतु उपस्थित होने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक १०.०२.२००६ के द्वारा
उपरोक्त सत्र परीक्षण में श्री बसन्त कुमार जाटव, सिविल जज० अवर खाड़ौ,
आजमगढ़ को साक्ष्य हेतु प्राप्त सम्मन को मूलरूप से इस आशय के साथ वापस
किया जा रहा है कि उपरोक्त पीठासीन अधिकारी को साक्ष्य हेतु सम्मन
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के माध्यम से भेजने का कष्ट करें, जिससे
श्री जाटव को उक्त सत्र परीक्षण में साक्ष्य देने हेतु निर्देशित किया जा सके।

संलग्नकः:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

११.२.२००६
विमल किशोर
जनपद न्यायाधीश,
आजमगढ़।

Request - 91

S.T. 656/02

राज्य / राजीव गुप्ता आमीर

एच० सी० जे० प्रपत्र संख्या 13, भाग VIII

U/C 363/366/1368/91

साक्षी को सम्मन

दालीय

(धाराये 88 व 252, अन्सूची 5 प्रलेप 3)

न्यायालय Addl. Dist. & Session Judge मुक्ति क्रमांक 0547/02
(मिशन ट्रैक कोर्ट नं. 2)

FIROZABAD

जिला

व्यावसाय

निवासी

भाषा

के नाम।

चूंकि हमारे समक्ष परिवार किया गया है कि निवासी

द्वारा (1)

श्री ब्रह्मन दुमान

के द्वारा

सिविल जज (ज्ञाया/क्रियत) तातो येस्टी - 18.3.06

जनपद प्रधान व्यायामी व्यायामी और मुझे यह प्रतीत होता है कि यह सम्भव है कि जांच किये जाने का सन्देह है।

आजम ग अप्रयोजन की ओर साकार साक्ष्य दे सकते हैं; साक्ष्य दृढ़

अतएव एतद्वारा आपको आहूत किया जाता है कि इस न्यायालय के समक्ष अगले 3 मास के 10

दिवस को 10.3.2005 बजे दिन को उक्त परिवार के विषय के सम्बूक्त आप जो कुछ जानते हों उसके सम्बन्ध में साक्ष्य देने के लिए उपस्थित हों वे और आपको एतद्वारा सावधान किया जाता है कि यदि आपने न्याय प्रति हेतु के बिना उस दिनाकर पर उपस्थित होने की उपेक्षा की या उपस्थित होना अस्वीकार किया तो आपकी उपस्थिति बाध्य कराने के लिये प्रग्रहण अधिपत्र निकाला जायेगा।

आज सन् 18.3.2006 के बारे 3 दिवस को स्व-हस्ताक्षरित और न्यायालय की मुद्रा लगाकर प्रदत्त।

श्रीवाज्जी

श्री गुरु भट्टाचार्य जज

माननीय उच्च न्यायालय

दुमान लब्धादा



हस्ताक्षर

Addl. Dist. & Session's Judge मैजिस्ट्रेट

(East Track COURT NO-3

FIROZABAD (U.P.) (क्र० प० प०)

जामाद